

The Bihar State Public Library and Information Centre (Amendment) Act, 2012

Act 9 of 2012

Keyword(s): Public Library, Information Centre

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गज़ट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 220)

4 ज्येष्ठ 1934 (शO) पटना, शुक्रवार, 25 मई 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 मई 2012

सं० एल0जी0-1-06/2012/लेजः 328—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 23 मई 2012 को अनुमित दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 9, 2012]

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (संशोधन) अधिनियम 2012

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 का संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** (1) यह अधिनियम बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।
- 2. बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा—4 का संशोधन ।— बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा—4 में प्रयुक्त शब्द "एवं उपाध्यक्ष" को विलोपित किया जायेगा।
- 3. बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) में नयी धारा—4 क का जोड़ा जाना।— बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा—4 के बाद नयी धारा—4 क जोड़ी जाएगी:—

"4 क अध्यक्ष बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार का पद अवैतनिक होगा परन्तु उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी स्विधाएं देय होगी।"

4. बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा—5 का संशोधन ।— बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा—5 में प्रयुक्त शब्द "एवं उपाध्यक्ष" विलोपित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

25 मई 2012

सं० एल0जी0-1-06/2012/लेजः 329—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई 2012 को अनुमत बिहार राज्य सार्वजिनक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 9, 2012]

Bihar State Public Library and Information Centre (Amendment) Act, 2012 AN

ACT

To amend the Bihar State Public Library and Information centre Act, 2008

Be it enacted by the legislature of Bihar in the Sixty third year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Bihar State Public Library and Information Centre (Amendment) Act, 2012
 - (2) It shall extend to whole of the state of Bihar.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
- 2. Amendment of Section-4 of the Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008).— In section- 4 of The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008) the words "and Vice Chairman" shall be deleted.

- 3. Addition of a new section 4 A in The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008).— After section-4 of The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008), the following new section-4A shall be added:
 - "4A The post of Chairman of The Bihar State Public Library and Information Centre Authority shall be honorary but he will be entitle for all the facilities decided by the State Government."
- 4. Amendment of the section-5 of The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008).—In Section-5 of The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008) the words "and Vice- Chairman" shall be deleted.

By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 220-571+400-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in